(वाद सं0.-1286/4/11/2022)

19.10.2023

प्रसंगाधीन मामला, गया जिलान्तर्गत बेलागंज के पुलिस कर्मियो द्वारा बालू उठाव के विरोध कर रहे ग्रामीणो, महिलाएं और नाबालिग बच्चियों के हाथ पैर बांधकर मारपीट किये जाने से संबंधित परिवादी, सकिर हुसैन, अध्यक्ष–सह–संस्थापक, Universal Diplomatic Affairs of Human Rights के परिवाद से संबंधित है।

उपरोक्त पर **वरीय पुलिस अधीक्षक, गया** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **वरीय पुलिस अधीक्षक, गया** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **"खनन विभाग, बिहार सरकार, द्वरा बालू घाट के नीलामी के उपरान्त जिला पदाधिकारी, गया के द्वारा ग्राम–आढ़तपुर स्थित बालू घाट का सीमांकन कराने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके आलोक में जिला खनन निरीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, गया, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, गया, पुलिस उपाधीक्षक, नगर, गया, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, टेकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, गया, अंचल अधिकारी, बेलागंज, पुलिस अवर निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, मेन थाना, गया थानाध्यक्ष, बेलागंज, पाई बिगहा ओ0 पी0 अध्यक्ष के साथ सशस्त्र बल के पुरूष सिपाही 100 महिला सिपाही 47, 06 टीयर गैस के साथ मेन थानान्तर्गत ग्राम–आढ़तपुर स्थित बालूघाट का सीमांकन कार्य हेतु पहुँचे थें। सीमांकन कार्य शुरू होते ही आढ़तपुर ग्राम के करीब 150 की सख्ंया में स्त्री–पुरूष ग्रामीण हरवे हथियार के साथ एकत्रित होकर सीमांकन कार्य में बाधा उत्पन्न करते**

हुए काफी उग्र होकर ईट, पत्थर एवं लाठी डंडा से वहां उपस्थित पदाधिकारी/कर्मियों पर हमला कर दिये, जिससे

सीमांकन कार्य में लगे अनेकों पुलिस कर्मी जख्मी हो गये। स्थल पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं मजिस्ट्रेट द्वारा काफी समझाने–बुझाने के बाद भी वहां ग्रामीणों ने उग्र रूप धारण किये रहे, जिसे नियंत्रण करने हेतु हल्का बल का प्रयोग करते हुए 05 आंसू गैस चलाया गया तथा 06 महिला एवं 04 पुरूष उपद्रवियों को विधिवत् थानाध्यक्ष मेन थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें बेलागंज अस्पताल में ईलाज कराया गया है। इस घटना के सम्बन्ध में मेन थाना काण्ड संख्या–07/2022, दिनांक–15.02.2022 के अन्तर्गत भा0द0स0 की धारा– 147/ 148/ 149/ 323/ 333/ 337/ 338/ 341/ 307/ 307/ 353/ 504 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया। महिलाओं को इस घटना मेंशामिल होने के कारण उन्हें महिला पुलिसकर्मियों के सहयोग से विधिवत् गिरफ्तार किया गया है। इस काण्ड में कोई बच्चा एवं वरिष्ठ नागरिक को गिरफ्तार नहीं किया गया है।"

प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख है कि प्रसंगाधीन घटना को सोशल मिडिया पर वायरल आने के पश्चात् तत्कालीन पु0अ0नि0–सह–थानाध्यक्ष, राम प्रकाश सिंह, मेन थाना, गया को निलंबित कर दिया गया है तथा उनके विरूद्ध गया जिला विभागीय (जांच) प्रारंभ किया गया है।

उपरोक्त प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि अब वहां की स्थिति सामान्य हो गयी है और वहां के ग्रामीण शांति पूर्वक रह रहे है और अब परिवादी को इस धटना के संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई में कोई रूचि नहीं है।

अब जबकि परिवादी को प्रसंगाधीन मामले में कोई शिकायत नहीं रह गयी है तथा वह राज्य आयोग की ओर से कोई अग्रेत्तर कार्रवाई के इच्छुक नहीं है तो ऐसी

परिस्थिति में परिवादी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार , आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

उप सचिव